

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

पौ.सं./1036/2024-25

रायपुर, दिनांक 17/02/2025

प्रमाण पत्र

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली का पत्र क्र./No. 13035/28/2014-PP-I (Vol.-II), दिनांक 23.11.2015 द्वारा प्रदत्त नियमों तथा भारत का राजपत्र (असाधारण) क्रमांक GSR 840 (E), दिनांक 05.11.2015 जिसमें Insecticides (Amendment) Rules, 2015 निहित है, Insecticides Act. 1968 एवं Insecticides Rules 1971 के नियम 10 के उप नियम (2) में निहित अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के प्रावधान को हटाये जाने के कारण

- कीटनाशक व्यवसायी को कृषि विज्ञान/प्रौद्योगिकी/जीवन विज्ञान/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान में किसी भी एक विषय में स्नातक डिग्री/Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) अनिवार्य किया गया है।

इस निर्देश के परिपालन में कीटनाशक व्यवसायी मेसर्स शिवशक्ति बीएम भण्डार
प्रोप्राइटर का नाम श्री. श्याम नाथ
मोबाईल नंबर 7829878910 विक्रय/भंडारण स्थल का पता अमरघोष टाकीम रोड दुधनू-1
धरसीवा रायपुर
विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन परीक्षण उपरांत शर्त क्रमांक-एक के पालन किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्ति जारी दिनांक 26/12/2008 अनुज्ञप्ति क्रमांक RYP 2491 के प्रमाण-पत्र की दिनांक 17/02/2025 से दिनांक 15/02/2026 तक कीटनाशक व्यवसाय किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि प्रमाण-पत्र जारी दिनांक से 01 वर्ष के अंदर निर्धारित प्रारूप में (नियम 9 और नियम 10 के अधीन प्रारूप 10) जिला अनुज्ञापन अधिकारी को प्रतिवर्ष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप पार्श्व पृष्ठ में संलग्न है) अन्यथा उक्त अनुज्ञप्ति स्वयंसेव निरस्त माना जावेगा।

बी.एस.सी./डिप्लोमाधारी का नाम श्री. श्याम नाथ



रायपुर, दिनांक

क्रमांक/पौ.सं./
प्रतिलिपि -

- 1) अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ।
- 2) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड-धरसीवा/आरंग/अभनपुर/तिल्वा को सूचनार्थ।

Remain
Licencing Office
अनुज्ञापन विभाग
District Raipur (C.G.)
कृषि
जिला-रायपुर (छ.ग.)

Remain
Licencing Office
अनुज्ञापन विभाग
District Raipur (C.G.)
कृषि
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय का फोन नंबर 0771-2439497, फैक्स नंबर 0771-2439497

ई-मेल ddaraipur@yahoo.com, ddaraipur.cg@gov.in

क्र./T-4/उर्वरक/समावेश/2024-25/3717

रायपुर दिनांक : 16.10.2024

प्रति,

मेसर्स शिव शक्ती बीज भंडार
अमरदीप टॉकीज रोड, बॉसटाल, रायपुर

विषय :- उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र में श्रोत प्रमाण पत्र (फार्म "ओ") समावेश करने
बाबत।


संदर्भ :- आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 25.09.2024

—00—

संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विनिर्माताओं/थोक विक्रेताओं के श्रोत प्रमाण पत्र का समावेश आपके फुटकर पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक RYP-629 वैधता दिनांक 13.12.2027, है, में समावेश किया जाता है, तथा उप संचालक कृषि/संचालक कृषि द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र में उल्लेखित उत्पादों के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	कम्पनी/थोक विक्रेता का नाम	श्रोत प्रमाण पत्र क्रमांक/दिनांक	वैधता दिनांक
1	मेसर्स कर्नाटका एग्रो केमिकल्स	286/16.09.2024	31.03.2027

मेसर्स निरंक.....(फार्म ओ) विधिमान्य नहीं होने के कारण समावेश किया जाना संभव नहीं है।



अधिकृत अधिकारी उर्वरक
अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं
(एव) उप संचालक कृषि
उप संचालक कृषि
रायपुर (छ.ग.)
जिला-रायपुर

पृ. क्र./T-4/उर्वरक/समावेश/2024-25/3718

रायपुर दिनांक : 16.10.2024

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड-घरसीवा को सूचनार्थ।


अधिकृत अधिकारी उर्वरक
अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं
(एव) उप संचालक कृषि
उप संचालक कृषि
रायपुर (छ.ग.)
जिला-रायपुर

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय का फोन नंबर 0771-2439497, फैक्स नंबर 0771-2439497

ई-मेल ddaraipur@yahoo.com, ddaraipur.cg@gov.in

क्र./T-4/उर्वरक/समावेश/2024-25/3717
प्रति,

रायपुर दिनांक : 16.10.2024

मेसर्स शिव शक्ती बीज भंडार
अमरदीप टॉकीज रोड, बॉसटाल, रायपुर

विषय :- उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र में श्रोत प्रमाण पत्र (फार्म "ओ") समावेश करने
बाबत।


संदर्भ :- आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 25.09.2024

—00—

संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विनिर्माताओं/थोक विक्रेताओं के श्रोत प्रमाण पत्र का समावेश आपके फुटकर पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक RYP-629 वैधता दिनांक 13.12.2027 है, में समावेश किया जाता है, तथा उप संचालक कृषि/संचालक कृषि द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र में उल्लेखित उत्पादों के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	कम्पनी/थोक विक्रेता का नाम	श्रोत प्रमाण पत्र क्रमांक/दिनांक	वैधता दिनांक
1	मेसर्स कर्नाटका एग्रो केमिकल्स	286/16.09.2024	31.03.2027


मेसर्स निरंक (फार्म ओ) विधिमान्य नहीं होने के कारण समावेश किया जाना संभव नहीं है।


अधिसूचित प्राधिकारी उर्वरक
अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं
(एव) उप संचालक कृषि
रायपुर (छ.ग.)
जिला-रायपुर

पृ. क्र./T-4/उर्वरक/समावेश/2024-25/3718
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक : 16.10.2024

1. अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड-धरसीवा को सूचनार्थ।


अधिसूचित प्राधिकारी उर्वरक
अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं
(एव) उप संचालक कृषि
रायपुर (छ.ग.)
जिला-रायपुर

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

पौ.सं./1036/2024-25

रायपुर, दिनांक 17/02/2025

प्रमाण पत्र

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली का पत्र क्र./No. 13035/28/2014-PP-I (Vol.-II), दिनांक 23.11.2015 द्वारा प्रदत्त नियमों तथा भारत का राजपत्र (असाधारण) क्रमांक GSR 840 (E), दिनांक 23.11.2015 जिसमें Insecticides (Amendment) Rules, 2015 निहित है, Insecticides Act. 1968 एवं Insecticides Rules 1971 के नियम 10 के उप नियम (2) में निहित अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के प्रावधान को हटाये जाने तथा




- कीटनाशक व्यवसायी को कृषि विज्ञान/प्रयोगिकी/जीवन विज्ञान/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान में किसी भी एक विषय में स्नातक डिग्री/Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) अनिवार्य किया गया है।

इस निर्देश के परिपालन में कीटनाशक व्यवसायी मेसर्स श्री. अमरेश्वर प्रसाद शर्मा

प्रोप्राईटर का नाम श्री. अमरेश्वर प्रसाद शर्मा
 मोबाईल नंबर 7.8.2.8.8.7.8.9.0 विक्रय/मंडारण स्थल का पता अमरेश्वर प्रसाद शर्मा रोड, दुधनारा, रायपुर

विकासखंड- धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन परीक्षण उपरांत शर्त क्रमांक-एक के पालन किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्ति जारी दिनांक 26/11/2008 अनुज्ञप्ति क्रमांक RYP 2491 के प्रमाण-पत्र की दिनांक 17/02/2025 से दिनांक 16/02/2026 तक कीटनाशक व्यवसाय किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि प्रमाण-पत्र जारी दिनांक से 01 वर्ष के अंदर निर्धारित प्रारूप में (नियम 9 और नियम 10 के अधीन प्रारूप 10) जिला अनुज्ञापन अधिकारी को प्रतिवर्ष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप पार्श्व पृष्ठ में संलग्न है) अन्यथा उक्त अनुज्ञप्ति स्वयंसेव निरस्त माना जावेगा।

बी.एस.सी./डिलोमाधारी का नाम श्री. अमरेश्वर प्रसाद शर्मा



Remand
 Licencing Office,
 अनुज्ञापन अधिकारी,
 District Raipur (C.G.)
 जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/पौ.सं./
 प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक

- 1) अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रायपुर को सूचनाार्थ।
- 2) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड-धरसीवा/आरंग/अमनपुर/तिल्दा को सूचनाार्थ

Remand
 Licencing Office,
 अनुज्ञापन अधिकारी,
 District Raipur (C.G.)
 जिला-रायपुर (छ.ग.)